

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 8/2019-सीमा शुल्क (एडीडी)
नई दिल्ली, दिनांक 12 फ़रवरी, 2019

सा.का.नि. (अ)- सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उप-धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा शुल्क टैरिफ (पाठित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 23 के साथ पठित, केन्द्र सरकार, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 61/2015-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 11 दिसम्बर, 2015, जिसे सा.का.नि. 955 (अ), दिनांक 11 दिसम्बर, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 3 के समक्ष, कॉलम (8) में, "देवू इंटरनेशनल कार्पो.." शब्दों के स्थान पर, "पीओएससीओ देवू कार्पोरेशन" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(फाइल संख्या 354/87/2009-टीआरयू (पार्ट-III))

(डॉ. श्रीपार्वती एस. एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट- प्रधान अधिसूचना संख्या 61/2015-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 11 दिसम्बर, 2015 को सा.का.नि. 955 (अ), दिनांक 11 दिसम्बर, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था ।